राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(80)साप्र/6/76 जयपुर, दिनांकः 26 JUN 2020

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन ''संशोधन'' नियम, 2020 है।
   (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 14 में संशोधन : राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के विद्यमान नियम 14–ए को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है : – ''14–ए लम्बित प्रकरणों पर निर्णय हेतु समिति : – इन नियमों के अधीन लम्बित प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु एक समिति निम्नानुसार होगी :–

1.	श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
4.	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्री, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान।
6. वित्त (व्यय–2) विभाग।
7. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में किया जाकर प्रति अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करें।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव